



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940

No. 799]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

का.आ. 929(अ).—जबकि मेसर्स अल्फानार एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 419-424, चतुर्थ तल, जेएमडी मेगापोलिस, सेक्टर-48, सोहना रोड, गुडगाँव-122002 में है, ने पारेषण योजना “मै. अल्फानार एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड को कोटडा मढ, कच्छ गुजरात में 300 MW विंड फार्म के लिए सम्बद्धता प्रणाली” के तहत बिजली की तारों बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हैं:

- (i) कोटडा मढ पर अल्फानार एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड जनरेटिंग पूलिंग स्टेशन- भुज PS 220 Kv S/c लाईन (300 MW की न्यूनतम क्षमता सहित)*

* लाईन का मार्ग विस्तार लगभग 65.3 किमी है जिसमें -3 खण्ड (I, II व III जनरेटिंग पूलिंग स्टेशन से भुज PS की ओर) होंगे। S/c टॉवरों पर S/c लाईन का खण्ड -I (17 किमी) का होगा। D/c टॉवरों पर S/c लाईन का खण्ड -II (46 किमी) का होगा तथा M/c टॉवरों पर (4 सर्किट में) S/c लाईन का खण्ड -III (2.3 किमी) का होगा।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part (1) दिनांक 24.09.2018 के द्वारा पारेषण योजना “मै. अल्फानार एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड को कोटडा मढ, कच्छ गुजरात में 300 MW विंड फार्म के लिए सम्बद्धता प्रणाली” के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन के लिए मेसर्स अल्फानार एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था:

- (i) कोटडा मढ पर अल्फानार एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड जनरेटिंग पूलिंग स्टेशन- भुज PS 220 Kv S/c लाईन (300 MW की न्यूनतम क्षमता सहित)*

* लाईन का मार्ग विस्तार लगभग 65.3 किमी है जिसमें -3 खण्ड (I, II व III जनरेटिंग पूलिंग स्टेशन से भुज PS की ओर) होंगे। S/c टॉवरों पर S/c लाईन का खण्ड -I (17 किमी) का होगा। D/c टॉवरों पर S/c लाईन का खण्ड -II (46 किमी) का होगा तथा M/c टॉवरों पर (4 सर्किट में) S/c लाईन का खण्ड -III (2.3 किमी) का होगा।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मै. अल्फानार एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड को कोटडा मठ, कच्छ गुजरात में 300 MW विंड फार्म के लिए सम्बद्धता प्रणाली” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

स्कीम के अंतर्गत ओवरहेड लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:—

गाँव	तालुक	जिला
निरोना, बिबर, पालनपुर, बड़ी, खरडिया, वांग, दादोर, झालु, झालू वांध, लायरी, फुलाय, जातावीरा, अरल नानी, थाल, चरखड़ा, धमय नवी, धमय जूनी, मुरु, जीन्जय, रताडिया, अंबारा (अमरा), विगोडी, तेजारा, रामपर, नागवीरी, नडापा, गदानी, हरिपर, रवापर, मेघपर, राजड़ा, धेचड़ा, वाल्का नाना,	नखत्राना	कच्छ

मेसर्स अल्फानार एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स अल्फानार एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक को “मै. अल्फानार एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड को कोटडा मठ, कच्छ गुजरात में 300 MW विंड फार्म के लिए सम्बद्धता प्रणाली” पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 13.10.2018 से 19.10.2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित है।
- आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्येधीन है।
- मेसर्स अल्फानार एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. सीईए-पीएस-11-23(21)/1/2019-पीएसपीए-I डिवीजन]

पी.सी. कुरील, सचिव

MINISTRY OF POWER
(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)
ORDER

New Delhi, the 19th February, 2019

S.O. 929(E).—Whereas M/s. Alfanar Energy Private Limited (AEPL), the applicant with its registered office at 4th Floor 419-424 JMD Megapolis, Sector 48, Sohana Road, Gurgaon, Haryana-122002 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Connectivity System for 300 MW wind farms in Kotda Madh, Kutch, Gujarat to M/s Alfanar Energy Private Limited” with the following scope of work:

1. Alfanar Energy Private Limited (AEPL) generation pooling station at Kotda Madh – Bhuj PS 220 Kv S/c line (With minimum capacity of 300 MW) *

* Route length of the line is approximately 65.3 km, which includes three Sections (Section I, II and III from generating pooling station towards Bhuj PS). Section I (17 km) would be S/c line on S/c towers, Section II (46 km) would be S/c line on D/c towers, Section III (2.3 km) would be S/c line on M/c towers (4 Circuits).

And whereas CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. CEA-PS-11-23(20)/1/2018-PSPA-I Division-Part (1) dated 24.09.2018 had granted prior approval under section 68 (1) of the Electricity Act, 2003 to M/s AEPL for the following overhead line covered under the transmission scheme “Connectivity System for 300 MW wind farms in Kotda Madh, Kutch, Gujarat to M/s Alfanar Energy Private Limited”:

1. Alfanar Energy Private Limited (AEPL) generation pooling station at Kotda Madh – Bhuj PS 220 Kv S/c line (With minimum capacity of 300 MW) *

* Route length of the line is approximately 65.3 km, which includes three Sections (Section I, II and III from generating pooling station towards Bhuj PS). Section I (17 km) would be S/c line on S/c towers, Section II (46 km) would be S/c line on D/c towers, Section III (2.3 km) would be S/c line on M/c towers (4 Circuits).

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity System for 300 MW wind farms in Kotda Madh, Kutch, Gujarat to M/s Alfanar Energy Private Limited”

The overhead line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

VILLAGES	TALUKAS	DISTRICT
Nirona, Bibar, Palanpur, Badi, Khardiya, Wang, Dador, Jhalu, Jhalu Wandh, Layri, Fulai, Jetavira, Aral Nani, Thal, Charakhada, Dhamay Navi, Dhamay Juni, Muru, Jinjay, Ratadiya, Ambara (Amara), Vigodi, Tejara, Rampar, Nagviri, Nadapa, Ghadani, Haripar, Rawapar, Meghpar, Rajda, Gechada, Walka Nana.	NAKHATRANA	KUTCH

M/s Alfanar Energy Private Limited has complied with the MoP’s procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Alfanar Energy Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned transmission line, namely:

-
- (i) The approval is granted for 25 years;
 - (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
 - (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
 - (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of overhead line under the transmission scheme “Connectivity System for 300 MW wind farms in Kotda Madh, Kutch, Gujarat to M/s Alfanar Energy Private Limited”. The details of the works were published in the Gazette of India dated 13th October – 19th October, 2018.
 - (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government;
 - (vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
 - (vii) M/s AEPL shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. CEA-PE-11-23(21)/1/2019-PSPA-I Division]

P.C. KUREEL, Secy.